भारत सरकार
गृह मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या 131***
दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां**

**†*131. श्री जी. हरिः**
**श्री मेकापति राज मोहन रेड्डीः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विभिन्न संवर्गों में अनेक रिक्तियां विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा नियत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी बल-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

**(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है।**

--------

<u>दिनांक 03 मई, 2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 131 के उत्तर में विवरण</u>

(क) से (ग): दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार, रिक्तियों का बल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

| बल | कुल स्वीकृत संख्या | कुल रिक्तियां |
|---|---|---|
| केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 314138 | 20130 |
| सीमा सुरक्षा बल | 257025 | 6199 |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 143390 | 13527 |
| सशस्त्र सीमा बल | 94170 | 17603 |
| भारत तिब्बत सीमा पुलिस | 89430 | 7171 |
| असम राइफल्स | 66411 | 1109 |
| कुल | 964564 | 65739 |

नए गठन, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र आदि जैसे कारणों से रिक्तियों के उत्पन्न होने पर उन्हें भरा जाना एक सदैव चलने वाली और अनवरत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां भर्ती नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार, सीधी भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति जैसे भर्ती के विभिन्न तरीकों के माध्यम से भरी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सशस्त्र बलों का संवर्धन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो बलों की प्रशासनिक और परिचालनात्मक अपेक्षाओं के अनुसार क्रियान्वित की जाती है।

-------